

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

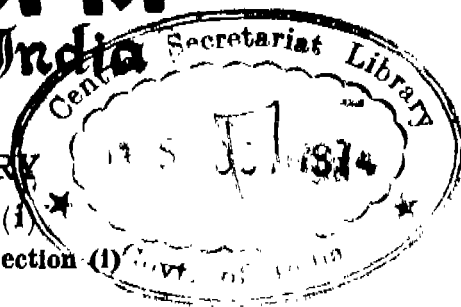
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 218]

नई दिल्ली, सोनवार, अगस्त 26, 1974/भाद्र 4, 1896

No. 218]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 1974/BHADRA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th August 1974

G.S.R. 373(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Thirteenth Amendment Regulations, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "West Bengal" against serial number 1, for the entry "Commissioner Secretaries (Agriculture, Education, Finance, Food, Home, Irrigation and Waterways and Power, Refugee Rehabilitation, Town and Country Planning, Transport)" the entry "Commissioner-Secretaries" shall be substituted.

[No. 10/19/74-AIS(II)-A]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1974

सांकांनि० 373(क).—भारतीय प्रशासन सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित ग्रिडिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल को सरकार से परामर्श करके भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) ऐरहवां संशोधन विनियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनियम 1955 के अनुसूची में 'पश्चिमी बंगाल' शीर्ष के अधीन, क्रम संख्या 1 में 'आयुक्त सचिव (कृषि, शिक्षा, वित्त, खाद्य, गृह, सिंचाई, जलमार्ग तथा विद्युत्, शरणार्थी पुनर्वास, नगर और ग्राम योजना, परिवहन) प्रविष्टि के स्थान पर 'आयुक्त सचिव' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं० 10/19/74-ए० आई० एस० (II)-ए]

G.S.R. 374(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Eleventh Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "A-Posts carrying pay above the senior scale of pay in the Indian Administrative Service under the State Governments", against the entry "West Bengal" in column 1, for the entry "Commissioner Secretaries (Agriculture, Education, Finance, Food, Home, Irrigation and Waterways and Power, Refugee Rehabilitation, Town and Country Planning, Transport)" in column 2, the entry "Commissioner-Secretaries" shall be substituted.

[No. 10/19/74-AIS(II)-B]

सांकांनि० 374 (ख).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित ग्रिडिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल को सरकार से परामर्श करके, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में क-राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद शीर्ष के नीचे स्तम्भ-1 में 'पश्चिमी बंगाल' प्रविष्टि के सामने स्तम्भ 2 में की 'प्रायुक्त सचिव (कृषि, शिक्षा, वित्त, खाद्य, गृह, सिंचाई और जलमार्ग और विद्युत, शरणार्थी, पुनर्वास, नगर और ग्राम आयोजना, परिवहन)' प्रविष्टि के स्थान पर 'प्रायुक्त सचिव' प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं० 10/19/74-ए० आई० एस० (II)-बी]

G.S.R. 375(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of the State of Bihar, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Thirteenth Amendment Regulations, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Bihar" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"BIHAR

1. Senior posts under the State Government

147

Chief Secretary to Government	1
Member, Board of Revenue	1
Development Commissioner	1
Additional Chief Secretary	1
Relief and Rehabilitation Commissioner	1
Land Reforms Commissioner	1
Agricultural Production Commissioner	1
Chief Administrator, River Valley Project and ex-Officio Secretary	1
Commissioner for Departmental Enquiries	1
Commissioner for Commercial Taxes	1
Commissioner and Secretary to Government	7
Commissioner of Division	7
Member Secretary, Chhota Nagpur and Santal Parganas Development Authority	1
Chief Electoral Officer-cum-Special Secretary, Cabinet Secretariat and Department of Coordination	1
Secretary to Government/Special/Additional/Joint/Deputy Secretary to Government	43
Deputy or Joint Development Commissioner	3
Secretary to Governor	1
Secretary to Chief Minister	1
Secretary, Board of Revenue	1
District Magistrate and Collector Additional Collector or Additional District Magistrate	34
Settlement Officer/Charge Officer, Survey and Settlement	12
Registrar, Cooperative Societies	1
Joint or Additional Registrar, Cooperative Societies	2
Commissioner of Excise and Salt	1
Director of Land Records and Surveys	1
Inspector General of Prisons	1
Labour Commissioner	1
Deputy or Joint Labour Commissioner	1
Director of Gram Panchayats	1
Director of Industries	1
Director of Training and Employment	1
Director, Administrative Training Institute, Ranchi	1
Director, State Lotteries and National Savings-cum-Joint Secretary, Finance Department	1

Director of Statistics and Evaluation	1
Additional Director of Industries	2
Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, Zilla Parishad	8
Secretary, Bihar State Planning Board	1
Director of Consolidation	1
	147
2. Central Deputation Reserve @ 40% of 1 above	59
3. Posts to be filled by promotion and selection under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, @ 25% of 1 and 2 above	51
4. Posts to be filled by Direct Recruitment (1 and 2 minus 3 above)	155
5. Deputation Reserve @ 20% of 4 above	39*
6. Leave Reserve @ 5% of 4 above	8
7. Junior Posts @ 20.60% of 4 above	32
8. Training Reserve @ 10.59% of 4 above	16
Direct Recruitment Posts	250
Promotion Posts	51
Total Authorised Strength	301

*includes 8 posts in excess of 20%."

[No. 8/29/73-AIS(II)-A]

सांकांमि० 375 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बिहार राज्य को सरकार से परामर्श करके, भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में 'बिहार' शीर्ष और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'बिहार'

1. राज्य सरकार के अधीन वर्गिष्ठ पद	147
सरकार के मुख्य सचिव	1
सदस्य राजस्व बोर्ड	1
विकास आयुक्त	1
अपर मुख्य सचिव	1
सहायता और पुनर्वासि आयुक्त	1
भूमि सुधार आयुक्त	1
कृषि उत्पादन आयुक्त	1
मुख्य प्रशासक, नदी क्यूटी परियोजना और पदेन सचिव	1
विभागीय जांच आयुक्त	1

वाणिज्य कर आयुक्त	1
आयुक्त एवं सरकार के सचिव	7
प्रमण्डलों के आयुक्त	7
सदस्य सचिव, छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकरण	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा विशेष सचिव मंत्रिमण्डल सचिव और ममन्वय विभाग	1
सरकार के सचिव/सरकार के विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव	43
उप या संयुक्त विकास आयुक्त	3
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
राजस्व बोर्ड के सचिव	1
जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर/अपर कलेक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट	34
बंदोबस्त अधिकारी/प्रभारी अधिकारी सर्वोक्षण और बंदोबस्त	12
रजिस्ट्रार सहायकी समिति	1
संयुक्त या अपर रजिस्ट्रार सहायकी समितियां	2
उत्पाद और नमक आयुक्त	1
निदेशक भू-अभिलेख और सर्वोक्षण	1
महानिरीक्षक कारागार	1
श्रम आयुक्त	1
उप या संयुक्त श्रम आयुक्त	1
निदेशक ग्राम पंचायत	1
निदेशक उद्योग	1
निदेशक प्रशिक्षण और नियोजन	1
निदेशक प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, रांची	1
निदेशक राज्य लाटरी और राष्ट्रीय वचन तथा संयुक्त सचिव वित्त विभाग	1
निदेशक माध्यमिकी और मूल्यांकन	1
अपर निदेशक	2
उप-विकास आयुक्त तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद	8
सचिव बिहार राज्य योजना बोर्ड	1
निदेशक समेकन	1

147

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उक्त एक के 40 प्रतिशत के हिसाब से 59
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन प्रोन्नति
और चयन के द्वारा भरे जाने वाले पद उक्त एक और दो के 25
प्रतिशत के हिसाब से 51
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उक्त 1 और 2 में 3 घटा-
कर) 155

5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उक्त 4 से 20 प्रतिशत के हिसाब से	39*
6. छुट्टी रिजर्व उक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	8
7. कनिष्ठ पद उक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से	32
8. प्रशिक्षण रिजर्व उक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	16

सीधी भरती वाले पद	250
प्रोन्नति पद	51
कुल प्राधिकृत संख्या	301

* 20 प्रतिशत के अधिक में 8 पद सम्मिलित हैं।

[सं० 8/29/73-ए० आई० एस० (II)-ए]

G.S.R. 376(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

(1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Tenth Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

2. In Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954,—

(a) under the heading "A—Posts carrying pay above the senior scale of pay in the Indian Administrative Service under the State Governments", against the entry "Bihar" in the first column, for the entries in the second and the third columns, the following shall be substituted, namely:—

	Rs.
"Chief Secretary to Government	3,500
Member, Board of Revenue	3,000
Development Commissioner	3,000
Additional Chief Secretary	2500—125/2—2750
Relief and Rehabilitation Commissioner	2500—125/2—2750
Land Reforms Commissioner	2500—125/2—2750
Agricultural Production Commissioner	2500—125/2—2750
Chief Administrator, River Valley Project and ex-officio Secretary	2500—125/2—2750
Commissioner for Departmental Enquiries	2500—125/2—2750
Commissioner for Commercial Taxes	2500—125/2—2750
Commissioner and Secretary to Government	2500—125/2—2750
Commissioner of Division	2500—125/2—2750
Member Secretary, Chhota Nagpur and Santhal Parganas Development Authority	2500—125/2—2750
Chief Electoral Officer-cum-Special Secretary, Cabinet Secretariat and Department of Coordination	2500—125/2—2750."

(b) under the heading "B—Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time-scale", against the entry "Bihar" in the first column for the entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

"Secretary to Government/Special/Additional/Joint/Deputy Secretary to Government.

Deputy or Joint Development Commissioner.

Secretary to Governor.

Secretary to Chief Minister.

Secretary, Board of Revenue

District Magistrate and Collector/Additional Collector or Additional District Magistrate.

Settlement Officer/Charge Officer, Survey and Settlement.
Registrar, Cooperative Societies.
Joint or Additional Registrar, Cooperative Societies.
Commissioner of Excise and Salt.
Director of Land Records and Surveys.
Inspector General of Prisons.
Labour Commissioner.
Deputy or Joint Labour Commissioner.
Director of Gram Panchayats.
Director of Industries.
Director of Training and Employment.
Director, Administrative Training Institute, Ranchi.
Director, State Lotteries and National Savings-cum-Joint Secretary, Finance Department.
Director of Statistics and Evaluation.
Additional Director of Industries.
Deputy Development Commissioner-cum-Chief Executive Officer, Zila Parishad.
Secretary, Bihar State Planning Board.
Director of Consolidation."

[No. 8/29/73-AIS(II)-B]

सा० का० नि० 376 (प्र).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बिहार की सरकार से परामर्श करके, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एनद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) 10वां संशोधन नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की तीसरी अनुसूची में :—

(क) 'क-राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पद' शीर्ष के नीचे प्रथम स्तंभ में 'बिहार' प्रविष्टि के सामने, द्वितीय और तृतीय स्तंभ में प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

रु०

सरकार के मुख्य सचिव	3500
सदस्य राजस्व बोर्ड	3000
विक्रम आयुक्त	3000
अपर मुख्य सचिव	2500-1 25/2-2750.
सहायता और पुनर्वास आयुक्त	2500-1 25/2-2750
भूमि सुधार आयुक्त	2500-1 25/2-2750
कृषि उत्पादन आयुक्त	2500-1 25/2-2750
मुख्य प्रशासक, नदी घाटी परियोजना	
पदेनसचिव	2500-125/2-2750
विभागीय जांच आयुक्त	2500-125/2-2750
वाणिज्य कर आयुक्त	2500-125/2-2750
आयुक्त और सरकार के सचिव	2500-125/2-2750
प्रमण्डलों के आयुक्त	2500-125/2-275

५०

सदस्य सचिव, छोटा नागपुर और मंडाल परगना विकास

प्राधिकरण

2500-125/2-2750

मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल

सचिवालय और समन्वय विभाग

2500-125/2-2750'

- (ख) 'ख-राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के दृष्टिगत वेतनमान वाले पद जिनके अन्तर्गत काल वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी हैं शीर्ष के नीचे, प्रथम स्तंभ में 'बिहार' प्रविष्टि के सामने, द्वितीय स्तंभ में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'सरकार के सचिव/सरकार के विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव

उप या संयुक्त विकास आयुक्त राज्य

राज्य पाल के सचिव

मुख्य मंत्री के सचिव

सचिव, राजस्व बोर्ड

जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर/अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट

बंदोबस्त अधिकारी/प्रभारी अधिकारी सर्वेक्षण और बंदोबस्त

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

संयुक्त या अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

उत्पाद और नमक आयुक्त

निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण

महानिरीक्षक, कारागार

श्रम आयुक्त

उप या संयुक्त श्रम आयुक्त

निदेशक, ग्राम पंचायत

निदेशक, उद्योग

निदेशक, प्रशिक्षण और नियोजन

निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, रांची

निदेशक, राज्य लाटरी और राष्ट्रीय बचत तथा संयुक्त सचिव वित्त विभाग

निदेशक, सांख्यिकी और मूल्यांकन

अपर निदेशक, उद्योग

उप-विकास आयुक्त तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद्

सचिव, बिहार राज्य योजना बोर्ड

निदेशक, समेकन'

[सं० 8/29/73-ए० आई० एस० (II)-बी]

G.S.R. 377(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Karnataka, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourteenth Amendment Regulations, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "MYSORE" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"KARNATAKA"

1. Senior posts under the State Government	83
Chief Secretary to Government	1
Development Commissioner & Ex-officio Commissioner for agricultural Production and Special Secretary to Government, Planning and Agricultural Production.	1
Revenue Commissioner and Secretary to Government	1
Chairman, Mysore Revenue Appellate Tribunal	1
Commissioner for Home Affairs and Secretary to Government	1
Commissioner for Industries and Commerce and Secretary to Government	1
Commissioner for Public Works and Electricity and Secretary to Government	1
Financial Commissioner and Secretary to Government	1
Commissioner for Education and Secretary to Government	1
Commissioner for Health and Municipal Administration Department and Secretary to Government	1
Chief Electoral Officer-cum-Secretary to Government	1
Commissioner for Commercial Taxes	1
Commissioner for Excise	1
Divisional Commissioners	4
Director of Vigilance	1
Administrator, Tungabhadra Project	1
Secretaries to Government	4
Additional/Joint Secretaries	3
Deputy Secretaries to Government	6
Secretary to Governor	1
Deputy Commissioner of Districts	19
Commissioner for Labour	1
Director of Industries and Commerce	1
Registrar of Cooperative Societies	1
Director, Stores, Purchase Department	1
Commissioner for Transport	1
Director of Social Welfare	1
Director of Employment and Training	1
Director of Food & Civil Supplies	1
Director, Administrative Training Institute	1
Secretary, Mysore Public Service Commission	1
Deputy Director of Vigilance	1
Joint Director of Industries and Commerce	1
Members, Mysore Revenue Appellate Tribunal	3
Director, Settlement and Land Records	1
Special Commissioner, Mysore, New Delhi	1
Deputy Commissioner for Excise	1
Deputy Commissioner for Commercial Taxes	1
Joint Registrar of Co-operative Societies	1
Additional Director of Industries and Commerce	1
Assistant Commissioners	10
	83
2. Central Deputation Reserve @ 40 per cent of (1) above	33
	116
3. Posts to be filled by promotion and selection in accordance with rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 @ 25 per cent of (1) plus (2) above	29
4. Posts to be filled by Direct Recruitment: (1) plus (2) minus (3) above	87

5. Deputation Reserve	29*
6. Leave reserve @ 5% of 4 above	4
7. Junior posts @ 20.60% of 4 above	18
8. Training Reserve @ 10.59% of 4 above	9
Direct Recruitment Posts	147
Promotion Posts	29
Total Authorised Strength	176

*Includes 12 posts in excess of 20%

[No. 3/29/73-AIS(II)-B]

S. P. Mukerji, Jt. Secy.

सा० का० नि० 377 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परस्त्वक और उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कर्नाटक सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) चौदहवां संशोधन विनियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (काडर संख्या का नियतन) विनियम 1955 की अनुसूची में, 'मैसूर' शीर्ष और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'कर्नाटक'

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	83
सरकार के मुख्य सचिव	1
विकास आयुक्त और पदेन आयुक्त, कृषि उत्पादन और सरकार के विशेष सचिव,	
योजना और कृषि उत्पादन	1
राजस्व आयुक्त और सरकार के सचिव	1
अध्यक्ष, मैसूर राजस्व अपीलीय अधिकरण	1
आयुक्त, गृह मामले और सरकार के सचिव	1
आयुक्त उद्योग और वाणिज्य और सरकार के सचिव	1
आयुक्त सार्वजनिक निर्माण और विद्युत और सरकार के सचिव	1
विकास आयुक्त और सरकार के सचिव	1
आयुक्त शिक्षा और सरकार के सचिव	1
आयुक्त स्वास्थ्य और नगर पालिका प्रशासन विभाग और सरकार के सचिव	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा सरकार के सचिव	1
आयुक्त वाणिज्य कर	1
आयुक्त उत्पादन	1
प्रमण्डल आयुक्त	4
निदेशक सतर्कता	1

प्रशासक तृगभत्रा परियोजना	1
सरकार के सचिव	4
अपर (संयुक्त सचिव)	3
सरकार के उप सचिव	6
राज्य पाल के सचिव	1
उपायुक्त जिला	19
श्रम आयुक्त	1
निदेश उद्योग और वाणिज्य	1
रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1
निदेशक स्टोर, त्रय विभाग	1
आयुक्त परिवहन	1
निदेशक समाज कल्याण	1
निदेशक नियोजन और प्रशिक्षण	1
निदेशक खाद्य और सिविल आपूर्ति	1
निदेशक प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान	1
सचिव मैसूर लोक सेवा आयोग	1
उप-निदेशक सतर्कता	1
संयुक्त निदेशक उद्योग और वाणिज्य	1
सदस्य, मैसूर राजस्व अपीलीय अधिकरण	3
निदेशक बंदोबस्त और भू-अभिलेख	1
विशेष आयुक्त मैसूर, नई दिल्ली	1
उपायुक्त उत्पाद	1
उपायुक्त वाणिज्यकर	1
संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1
अपर निदेशक, उद्योग और वाणिज्य	1
सहायक आयुक्त	10

83

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उक्त (1) के 40 प्रतिशत के हिसाब से

33

116

3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती नियम, 1954) के नियम 8 के अनुसार प्रोन्नति और चयन के द्वारा भरे जाने वाले पद उक्त (1) + (2) के 25 प्रतिशत के हिसाब से	29
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद; उक्त (1) + (2) में से (3) घटाकर	87
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व	29
6. छुट्टी रिजर्व उक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	4
7. कनस्टि पद उक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से	18
8. प्रशिक्षण रिजर्व उक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	9

सीधी भर्ती वाले पद	147
प्रोन्नति पद	29
कुल प्राधिकृत संख्या	176

*जिसके अन्तर्गत 20 प्रतिशत के अधिक्य में 12 पद भी हैं।

[सं० 10/20/74-ए० आई० एस० (II)-ए.]

G.S.R. 378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Karnataka, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Twelfth Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, in Schedule III—

(a) Under the heading "Posts carrying pay above the senior scale of pay in the Indian Administrative Service under the State Governments", for the entry "Mysore" occurring in the first column and the entries relating thereto in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

"KARNATAKA

	Rs.
Chief Secretary to Government	3,500
Development Commissioner and Ex-officio	3,000
Commissioner for Agricultural production and Special Secretary to Government, Planning and Agricultural Production.	
Revenue Commissioner and Secretary to Government	3,000
Chairman, Mysore Revenue Appellate Tribunal	2,500—125/2—2750
Commissioner for Home Affairs and Secretary to Government	2,500—125/2—2750
Commissioner for Industries and Commerce and Secretary to Government	2,500—125/2—2750
Commissioner for Public Works and Electricity and Secretary to Government	2,500—125/2—2750

Financial Commissioner and Secretary to Government	2,500—125/2—2750
Commissioner for Education and Secretary to Government	2,500—125/2—2750
Commissioner for Health and Municipal Administration and Secretary to Government	2,500—125/2—2750
Chief Electoral Officer-cum-Secretary to Government	2,500—125/2—2750
Commissioner for Commercial Taxes	2,500—125/2—2750
Commissioner for Excise	2,500—125/2—2750
Divisional Commissioners	2,500—125/2—2750
Director of Vigilance	2,500—125/2—2750
Administrator, Tungabhadra Project	2,500—125/2—2750
Chairman/Vice-Chairman, Mysore State Road Transport Corporation	2,500—125/2—2750
Managing Director, Mysore State Financial Corporation	2,500—125/2—2750
Chairman & Managing Director, Mysore State Agro-Industries Corporation Ltd.	2,500—125/2—2750
Commissioner, Corporation of City of Bangalore	2,500—125/2—2750

- (b) under the heading "B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale", for the entry "MYSORE" occurring in the first column and the entries relating thereto in the second column, the following shall be substituted, namely:—

"KARNATAKA

Secretary(ies) to Government.
 Additional or Joint Secretary(ies)
 Deputy Secretary(ies) to Government.
 Secretary to Governor.
 Deputy Commissioners of Districts.
 Commissioner for Labour.
 Director of Industries and Commerce.
 Registrar of Co-operative Societies.
 Director, Stores Purchase Department.
 Commissioner for Transport.
 Director of Social Welfare.
 Director of Employment and Training.
 Director of Food and Civil Supplies.
 Director, Administrative Training Institute.
 Secretary, Mysore Public Service Commission.
 Deputy Director of Vigilance.
 Joint Director of Industries and Commerce.
 Chairman, City Improvement Trust Board, Bangalore.
 Commissioner, Hubli-Dharawar Municipal Corporation.
 Commissioner, Mysore City Municipality.
 Vice-Chairman and Managing Director, Mysore Iron and Steel Ltd.
 Managing Director, Mysore State Co-operative Marketing Federation Ltd.
 Managing Director, New Government Electric Factory.
 Managing Director, Mysore Small Industries Corporation.
 Managing Director, Mysore Sugar Company.
 Members, Mysore Revenue Appellate Tribunal.
 Director, Settlement and Land Records.

Special Commissioner, Mysore, New Delhi.
 Deputy Commissioner for Excise.
 Deputy Commissioner for Commercial Taxes.
 Joint Registrar of Co-operative Societies.
 Additional Director of Industries and Commerce,
 Assistant Commissioner (a)"

[No. 10/20/74-AIS II-B.]

S. P. MUKERJI, Jt. Secy.

सा० का० नि० 378(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कर्नाटक सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) बाह्य संशोधन नियम, 1974 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की तीसरी अनुसूची में:—

(क) 'क-राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में वरिष्ठ वेतन मान से उपर वेतन वाले पद शीर्ष' के नीचे प्रथम स्तम्भ में 'मैसूर' प्रविष्टि के सामने, द्वितीय और तृतीय स्तम्भ में उनमें संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

‘कर्नाटक

र०,

सरकार के मुख्य सचिव	3,500-00
विकास आयुक्त और पदेन आयुक्त, कृषि उत्पादन और सरकार के विशेष सचिव, योजना और कृषि उत्पादन	3,000
राजस्व आयुक्त और सरकार के सचिव	3,000
अध्यक्ष, मैसूर राजस्व अपीलार्थ अधिकरण	2500-125/2-2750
आयुक्त, गृह मामले और सरकार के सचिव	2500-125/2-2750
आयुक्त उद्योग और वाणिज्य और सरकार के सचिव	2500-125/2-2750
आयुक्त सार्वजनिक निर्माण और विद्युत और सरकार के सचिव	2500-125/2-2750
वित्त आयुक्त और सरकार के सचिव	2500-125/2-2750
आयुक्त, शिक्षा और सरकार के सचिव	2500-125/2-2750
आयुक्त, स्वास्थ्य और नगरपालिका प्रशासन विभाग और सरकार के सचिव	2500-125/2-2750

मुख्य सचिव, निर्वाचन अधिकारी और सरकार के सचिव	2500-125/2-2650
आयुक्त, वाणिज्य कर	2500-125/2-2750
आयुक्त, उत्पाद	2500-125/2-2650
प्रमंडल आयुक्त	2500-125/2-2750
निदेशक सतर्कता	2500-125/2-2750
प्रशासक तुंग भव्वा परियोजना	2500-125/2-2750
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम	2500-125/2-2750
प्रबंध निदेशक, मैसूर राज्य वित्त निगम	2500-125/2-2750
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मैसूर स्टेट एग्रीकल्चरल कारपोरेशन लिमिटेड	2500-125/2-2750
आयुक्त निगम बंगलोर शहर	2500-125/2-2750

(ख) 'ख' राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पद जिनके अन्तर्गत काल वेतनमान के वेतन से अतिरिक्त विशेष वेतन वाल पद भी हैं' शीर्ष के अधीन प्रथम स्तंभ में आने वाली 'मसूर' प्रविष्टि और द्वितीय स्तंभ में उसमें संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी अर्थात्:—

‘कर्नाटक

सरकार के सचिव
अपर या संयुक्त सचिव
सरकार के उप सचिव
राज्य पाल के सचिव,
उपायुक्त जिला
श्रम आयुक्त
निदेशक उद्योग और वाणिज्य
रजिस्ट्रार सहाकारी समितियां
निदेशक स्टोर क्रय विभाग
आयुक्त परिवहन
निदेशक समाज कल्याण
निदेशक नियोजन और प्रशिक्षण
निदेशक खाद्य और सिविल आपूर्ति
निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
सचिव, मसूर लोक सेवा आयोग
उप-निदेशक सतर्कता
संयुक्त निदेशक उद्योग और वाणिज्य
अध्यक्ष नगर सुधार न्यास बोर्ड, बंगलोर

आयुक्त हुवलो भरवार नगर पालिका निगम
 आयुक्त मैसूर शहर नगर पालिका
 उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मैसूर आयरन और स्टील
 लिमिटेड
 प्रबंध निदेशक, मैसूर स्टेट कोओपरेटिव मार्केटिंग फैक्टरी
 लिमिटेड
 प्रबंध निदेशक न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक फैक्टरी
 प्रबंधक निदेशक मैसूर लघु उद्योग निगम
 प्रबंध निदेशक, मैसूर शूगर कम्पनी
 सदस्य, मैसूर राजस्व अपोलोय अधिकरण
 निदेशक, बंबोबस्त और भू-अभिलेख
 विशेष आयुक्त, मैसूर, नई दिल्ली
 उप-आयुक्त उत्पाद
 उप-आयुक्त वाणिज्य कर
 संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां
 अपर निदेशक उद्योग और वाणिज्य
 सहायक आयुक्त ।

[सं० 10/20/74-ए०आई०एस० (II)-बी]

एस० पी० मुकर्जी, संयुक्त सचिव ।